



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62455-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 290 वर्ष 2026

विशु तोमर एवं अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: हया रिज़वी, राहुल गौर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गौर और विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

उपरोक्त वर्णित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

i. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता संख्या 1 को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का निर्देश दिया जाए, तथा याचिकाकर्ता संख्या 1 की गिरफ्तारी, निरुद्धि और रिमांड को अवैध, शून्य और अप्रभावी घोषित किया जाए क्योंकि इसमें मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

ii. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 771 वर्ष 2024, धारा 103(1) और 238 बी.एन.एस., थाना बड़ौत, जिला बागपत के अंतर्गत पारित आक्षेपित रिमांड आदेश दिनांक 14.11.2024 को रद्द किया जाए।

iii. प्रत्यर्थी संख्या 1 के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

iv. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।

v. याचिकाकर्ताओं को वाद व्यय प्रदान किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को 12.11.2024 को गिरफ्तारी का आधार और गिरफ्तारी का कारण बताए बिना अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न दिए जाने के अभाव में उसकी गिरफ्तारी अवैध है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने दर्शित किया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी 12.11.2024 को की गई थी। उन्होंने अपनी अवैध गिरफ्तारी को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात कार्यवाही आगे बढ़ी होगी। याचिकाकर्ता ने विवेचना/मुकदमे की स्थिति साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है और अपनी गिरफ्तारी के लगभग 16 महीने बाद रिमांड आदेश दिनांक 14.11.2024 को रद्द करने की मांग की है। इस न्यायालय के समक्ष आने में हुए विलंब के संबंध में याचिका में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से तत्परता से संपर्क नहीं किया है और याचिका विलंब दोष से ग्रस्त है।

यह याचिका विलंब के आधार पर खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

25 मार्च, 2026